

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990 को पूर्वाह्न 10:15 बजे अध्यक्ष, श्री मो० हिदायतुल्ला खाँ के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना

दिनांक : 24 जनवरी, 1990

चन्द्रशेखर शर्मा

सचिव

बिहार विधान-सभा।

पुल का निर्माण

पथ-184. श्री नीतिश कुमार : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत खंडवारा (बाजपट्टी) पुल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 14 अक्टूबर, 1984 को किया गया था लेकिन अब तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हां, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग — उत्तर स्वीकारात्मक है। बाजपट्टी कुंभा पथ के द्वितीय किमी में खंडवारा (बाजपट्टी) के नजदीक 5.30 विस्तार के स्क्रू पाइल पुल संपर्क पथ सहित निर्माण की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है। सरकार के निर्णय के अनुसार इसी स्क्रू पाइल पुल का निर्माण करना है।

नहर का निर्माण करना

त्र-149. श्री नील मोहन सिंह : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सन् 1984 अगस्त में मंदार उच्चस्तरीय नहर ग्राम सबलपुर थाना बाराहाट, भागलपुर की शाखा नहर निर्माण के लिए आदेश दिया था ?

(2) क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित नहर को सबलपुर ग्राम के मंदार पहाड़ तक विस्तारित करने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया, परंतु उक्त कार्य अभी तक पूर्ण न हो सका है, फलस्वरूप हजारों एकड़ जमीन पटवन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं;

(3) यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अधूरे नहर को शीघ्र पूरा कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग : (1) अंशतः स्वीकारात्मक है। मुख्यमंत्री द्वारा मंदार नहर के निर्माण के आदेश का प्रसंग नहीं प्राप्त है। परंतु मुख्य अभियंता, भागलनपुर ने आर.एल.इ.जी.पी. के अंतर्गत मार्च 1986 में मंदार वितरण के प्राक्कलन की स्वीकृति दी थी।

(2) स्वीकारात्मक है। लेकिन योजना के प्रावधान के अनुसार स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध न होने के कारण योजना का निर्माण न हो सका, जिससे इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

(3) उपरोक्त स्वीकृत प्राक्कलन के अंतर्गत योजना का निर्माण संभव नहीं है।

सड़क की मरम्मत

सामु-392. श्री नलिनी रंजन सिंह : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—